कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6वॉ तल उ0प्र0, लखनऊ।

संख्याः एम0ई0–3 / पी0जी0–2024 / 2612 लखनऊःदिनांक 14 नवम्बर, 2024

यू0पी0 नीट पी0जी0–2024(एम0डी0 / एम0एस0 / डी0एन0बी0) की प्रथम चक की ऑन–लाइन च्वाईस फिलिंग के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश।

- यू0पी0 नीट पी0जी0–2024 के अन्तर्गत प्रथम चक की काउंसिलिंग में, जिन अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण / सिक्योरिटी धनराशि निर्धारित तिथियो तक जमा की गयी हैं तथा बैंक द्वारा एन0आई0सी0 के सर्वर पर अपडेट हो गयी हैं, ऐसे अभ्यर्थी ही च्वाईस फिलिंग की प्रक्रिया हेतु अर्ह है।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज / विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सम्बंधित कालेज के बारे में स्वयं अथवा उनके अभिभावक सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस फिल / लॉक करें।
- शैक्षणिक सत्र 2024–25 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अल्पसंख्यक तथा शासनादेश दिनांक 28.10.2024 द्वारा निर्धारित गैर अल्पसंख्यक कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले समस्त शुल्क (Fee Structure), जो विभागीय वेबसाईट www.dgme.up.gov.in एवं www.upneet.gov.in पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात् ही (Choice Lock) करें।
- **ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को सीट आवंटन की प्रकिया मे सम्मिलित नहीं किया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।**
- अभ्यर्थी द्वारा राजकीय / निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन Choice Fill की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- अभ्यर्थी द्वारा Choice Lock करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं हो सकेगा और न ही इस संबंध में महानिदेशालय में प्राप्त किसी भी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जायेगा।
- काउन्सिलिंग के संबंध मे अद्यतन / महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर विभागीय वेबसाइट www.dgme.up.gov.in तथा www.upneet.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

कृते महानिदेशक।